कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त,राजस्थान,जयपुर

क्रमांक / फा / संस्था / 1 / 1 / 12 / भूप्रआ / 2020 पार्ट–II / 5864 दिनांकः– 27-8-2020

कार्यालय आदेश

कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) भर्ती परीक्षा 2013 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैंकलॉग के चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर द्वारा पत्रांक प.1(2)प्र.सु. / अनु–3 / 2020 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग में नियुक्ति हेतु आवंटित निम्नाकिंत अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय (लिपिक वर्गीय) मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 28 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई (Provisional) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के दौरान अधोलिखित शर्तों पर वित्त (नियम प्रकोष्ठ) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त / नियम / 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के शिड्यूल IV के प्रावधानानुसार पै मैट्रिक्स लेवल L-5 में 14600 / – (चौदह हजार छः सौ मात्र) रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा :–

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	आवेदन पत्र क्रमांक	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	आवंटित कार्यालय
1	17982	201803986941	1779977	MALI RAM BUNKAR	JHUNTHA RAM BUNKAR	16-09-1981	Male	SC	भूप्रअ भीलवाड़ा
2	21884	201803747992	1860649	PRAMOD KUMAR MEENA	BADRI NARAYAN MEENA	17-05-1993	Male	ST	भूप्रअ जयपुर

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही है:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है। अस्थाई सेवाकाल में बिना पूर्व सूचना अथवा नोटिस दिये किसी भी समय राज्य सेवा से पृथक किया जा सकता है।
2. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस में अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 / एसटी एससी ओबीसी एसबीसी / जा.प्रा.प. / सामान्यअवि / 2015 / 54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प0 11(204)आरएण्डपी / डीडीबीसी / सान्याअवि / 2011 / 68999–69032 जयपुर 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों / सत्यापन के अद्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से मानी जायेगी।
6. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ012(6)एफडी / रूल्स / 05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी / रूल्स / 2005 दिनांक 13.03.2006, 1(1)एफडी / रूल्स / 2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी / रूल्स / 2003 दिनांक 13.03.06 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ 4 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगें।
7. परीवीक्षा काल (Probationer-Trainee) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति तक सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ सहायक) के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होगें।
10. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व 10 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाऐं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर अभ्यर्थी की सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेंगी।
13. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
16. परिवीक्षा अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि व राज्य बीमा की कटौती नहीं की जावेंगी।
17. राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम लागू नहीं होकर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
18. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ–7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात किसी भी समय दो से अधिक बच्चे होने पर इन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
19. उक्त नियुक्ति पर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(4)वित्त/नियम/99 दिनांक 01.04.2004 के अनुसार राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 1970 के प्रावधान लागू नहीं होगें एवं वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ6(5)वित्त/नियम/99 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार मेडिक्लेम बीमा योजना लागू होगी।
20. उक्त नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अद्यधीन होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगें।
21. जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन या अन्य कोई दस्तावेज शेष हैं, वह कार्यग्रहण करने से पूर्व उक्त दस्तावेज संबन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत करें।

(विश्व मोहन शर्मा)
भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक / फा / समसंख्यक / 5865- 5894 दिनांकः-27-8-2020

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु0 3) विभाग राज. जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप—1 विभाग राजस्थान जयपुर।
4. भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर, भीलवाडा को नवनियुक्त प्रशिक्षु कनिष्ठ सहायकों के मूल प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज भेजकर लेख है कि क्र. स. 2 पर अंकित अभ्यर्थी की परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार इनके शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच कर ली गई है। क्र.स. 1 पर अंकित अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच शेष है। प्रशासनिक सुधार (अनु.—3) विभाग के पत्र दिनांक 18.06.2020 के अनुसरण में दोनों अभ्यर्थियों को जिला कार्यालय आवंटन कर नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। जिस अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेज, शपथ—पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अवशेष है, उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कराया जावें । पूर्व में पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों से पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
5. कोषाधिकारी, जयपुर, भीलवाडा द्वारा सम्बन्धित कार्यालय।
6. व लेखाधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, भू प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, अति. भ प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
9. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, मुख्यावास, राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी आई.टी. शाखा मुख्य कार्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित अभ्यर्थी नाम मय पता..
12. निजी पंजिका सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित कार्यालय।
13. प्रभारी संस्था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय / सामान्य व आवक—जावक शाखा / जांच शाखा / सदरमुंसरिम / लेखा शाखा / कोर्ट शाखा / न्याय शाखा / स्टोर / वर्क स्टेशन मुख्य कार्यालय।
14. गार्ड फाईल।

अति.भू प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान,जयपुर